

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली  
पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 35/1998


वादी:-

1. दीपसिंह पुत्र जयसिंह जी राजपूत
2. मानाराम पुत्र मौतीजी घांची
3. भूराराम पुत्र रूधाराम जी मेघवाल
4. मौहनलाल पुत्र मगाजी माली
5. ढलाराम पुत्र हीराजी देवासी
6. मोहनलाल पुत्र गिरधारी जी हीरागर
7. जसाराम पुत्र चतरा जी चौकीदार
8. सेसाराम पुत्र वनाराम जी साद
9. नेमाराम पुत्र वनाराम जी साद
10. भुराराम पुत्र सुखाजी कुम्हार
11. गणेशराम पुत्र अनाजी घांची
12. वोराराम पुत्र रघुनाथजी दर्जी
13. देवाराम पुत्र खीमाजी नाई
14. ढलाराम पुत्र रघुनाथजी सुथार
15. भैराराम पुत्र पूराराम जी गूजर

समस्त निवासीगण बोमादड़ा  
तहसील पाली प्रतिनिधिगण -  
समस्त ग्राम बोमादड़ा तहसील  
पाली।

बनाम प्रतिवादीगण:-

1. टीकम पुत्र त्रिलोकजी
2. पुखीया पुत्र त्रिलोकजी
3. भीमला पुत्र त्रिलोकजी
4. मृत वरदीया के कायम मुकाम पुत्र त्रिलोकजी  
4/1 अणची बेवा वरदाराम  
4/2 वजाराम  
4/3 केशाराम  
4/4 भुराराम  
4/5 राजाराम नाबालिग  
4/6 श्रवण कुमार नाबालिग क्रमांक 4  
व 5 नाबालिग जरिये कुदरती  
वली माता अणची बेवा वरदाराम
5. ओगड़िया पुत्र जोराजी
6. मोतिया पुत्र जोराजी
7. नारिया पुत्र जोराजी
8. मृत मगा पुत्र नैका के कायम मुकाम  
8/1 भीका पुत्र मगाजी
9. मृत सुजा पुत्र गमनाजी के कायम मुकाम  
9/1 भंवरलाल पुत्र सुजाजी  
9/2 अणजी बेवा सुजाजी
10. कूपा पुत्र गमनाजी
11. वेना पुत्र गमनाजी
12. वगता पुत्र लच्छाजी
13. मृत रूधा पुत्र लच्छाजी के कायम मुकाम  
13/1 चतराराम पुत्र रूधाजी  
13/2 शेषाराम पुत्र रूधाजी  
13/3 किशनलाल पुत्र रूधाजी



*Rohit*  
सहायक कलेक्टर  
पाली

14. मृत देवा पुत्र रता के कायम मुकाम

14/1 भैराराम पुत्र सूजाजी

14/2 विजयराज पुत्र सूजाजी

14/3 डायाराम पुत्र सूजाजी

14/4 लादुराम पुत्र सूजाजी

14/5 तलसी बेवा सुजाजी

15. सावल पुत्र दुरगाजी

16. नारायण पुत्र दुरगाजी

17. रूपा पुत्र हुकमा जी

18. चिमना पुत्र उदाजी

19. वगता पुत्र उदाजी

20. जसा पुत्र उदाजी

21. मनरूप पुत्र मादाजी

22. सेसाराम पुत्र राणाजी

23. मगाराम पुत्र गोंगाजी

24. हीराराम पुत्र सरूपजी

25. हिमताराम पुत्र सरूपजी


26. लुम्बा पुत्र पूनाजी

27. मृत जसा पुत्र चेलाजी के कायम मुकाम

27/1 धना पुत्र जसाजी

समस्त जातिगण सिरवी निवासीगण बोमादड़ा  
तहसील पाली जिला पाली

28. सरकार जरिये तहसीलदार, पाली।



उपस्थिति:-

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक वादीगण
2. श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण

**वाद अंतर्गत धारा 88,91,92ए,188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955**

—:निर्णय:-

दिनांक 13.02.2020

1. वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण ने लोक अदालत की भावना से गांव में आपस में मिलकर बैठक कर उक्त वाद में वर्णित भूमि के संबंध में लम्बित विवाद को हमेशा हमेशा के लिये आगे वर्णित अनुसार समाप्त

*Rahi*  
सहायक कलेक्टर  
पाली

कर राजीनामा कर लिया है। ग्राम बोमादड़ा के खसरा नम्बर 264 में से पश्चिम दिशा की 25 फुट चौड़ाई पूर्व से पश्चिम से गांव के पक्ष में छोड़ी जायेगी जो 50 फुट लम्बाई उत्तर से दक्षिण रहेगी एवं दक्षिण की तरफ 55 फुट चौड़ाई रखी जायेगी जो 25 फुट चौड़ाई को मिलाते हुये 57 फुट रहेगी जो भी 25 फुट चौड़ाई पूर्व से दक्षिण 85 फुट की लम्बाई पूर्व से पश्चिम बताई है उसमें 50 फुट जो जमीन लम्बाई उत्तर से दक्षिण बताई उसको जोड़ते हुये 85 फुट रहेगी। इस तरह यह जमीन जो प्रतिवादी अपने खाते से कम कराते हुये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जायेगी। जिसमें वादीगण इस आशय की डिक्री चाहते हैं जिसमें प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। जिसे दोनों पक्ष आपसी राजीनामा के जरिये स्वीकार करते हैं। उपरोक्त भूमि में टंकी (जी.एल.आर) भी बनी हुई है जो उपरोक्त भूमि राजस्व रेकॉर्ड में प्रतिवादीगण की जगह सार्वजनिक उपयोग के नाम की घोषित कर ग्राम पंचायत के खाते में दर्ज की जावे। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम पंचायत केवल ट्रस्टी के रूप में देखरेख करेगी। लेकिन उपयोग सार्वजनिक रहेगा। राजीनामा के साथ नजरी नक्शा है जो इस राजीनामा का ही अंग व भाग है जिसमें राजीनामा के साथ पढ़ा जावे। उक्त नक्शे में लाल स्याही से वर्णित भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि घोषित की जावे। खसरा नम्बर 264 की शेष भूमि रहेगी जो प्रतिवादीगण की खातेदारी की है व खातेदारी की रहेगी। जिसमें वादीगण अथवा ग्रामवासी कभी भी प्रतिवादीगण के कब्जे व खातेदारी में दखलन्दाजी नहीं करेंगे न ही किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न करेंगे अर्थात् शेष रकबा प्रतिवादीगण के नाम ही है व रहेगा। सार्वजनिक उपयोग की उक्त राजीनामा में वर्णित भूमि के सार्वजनिक उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करेंगे न ही प्रतिवादीगण के उत्तराधिकारी करेंगे लेकिन वादीगण भी खसरा नम्बर 264 में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करेंगे क्योंकि ये उनके खातेदारी व कब्जे की कानूनी तौर पर हक अधिकार की है। अतः राजीनामा पेशकर निवेदन है कि माफिक राजीनामा वाद तस्दीक फरमावे व बाद तस्दीक वाद का जरिये राजीनामा निस्तारण फरमावे।

2. विद्वान अभिभाषक वादीगण एवं विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण ने निवेदन कि माफिक राजीनामा वाद तस्दीक फरमावे व बाद तस्दीक वाद का जरिये राजीनामा निस्तारण फरमावे।

3. विद्वान अभिभाषक वादीगण एवं विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा प्रार्थना पत्र का ध्यान-पूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि उक्त वाद के सभी पक्षकार उपस्थित हुये जिनकी पहचान उनके विद्वान अधिवक्तागण ने की है। सभी पक्षकार ने लिखित रजामंदी के अनुसार सहमती दी है। अतः राजीनामा तस्दीक किया जाता है।

4. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार सरहद मौजा ग्राम बोमादड़ा के खसरा नंबर 264 रकबा 17 बिस्वा की कृषि भूमि पर विद्वान अभिभाषक वादीगण एवं विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाकर राजीनामा के संलग्न नजरी नक्शा को इस निर्णय का भाग बनाया जाता है तथा नजरी नक्शे में दर्शित "सार्वजनिक उपयोग के हेतु" भूमि को ग्राम पंचायत, बोमादड़ा को बतौर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पाली को निर्देशित किया जाता है कि माफिक राजीनामा राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज कर पालना प्रतिवेदन 15 दिवस की अवधि में प्रस्तुत करे। डिक्री परचा मुर्तिब हो। इस निर्णय डिक्री परचा की प्रति तहसीर के साथ तहसीलदार, पाली को प्रेषित की जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।



यह आदेश आज दिनांक 13.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

*Rahul*  
सहायक कलेक्टर  
पाली

*Rahul*  
सहायक कलेक्टर  
पाली

# डिकी बमुकददमें इब्तदाई

( ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाब्दा दीवानी )  
( Civil Procedure Code, Appendix 'D' -1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उप जिला कलेक्टर, पाली  
इजलास- श्री रोहिताशत सिंह तोमर, (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 35 सन् 1998

वादी:-

1. दीपसिंह पुत्र जयसिंह जी राजपूत
2. मानाराम पुत्र मौतीजी घांची
3. भूराराम पुत्र रूधाराम जी मेघवाल
4. मौहनलाल पुत्र मगाजी माली
5. ढलाराम पुत्र हीराजी देवासी
6. मोहनलाल पुत्र गिरधारी जी हीरागर
7. जसाराम पुत्र चतरा जी चौकीदार
8. सेसाराम पुत्र वनाराम जी साद
9. नेमाराम पुत्र वनाराम जी साद
10. भुराराम पुत्र सुखाजी कुम्हार
11. गणेशराम पुत्र अनाजी घांची
12. वोराराम पुत्र रघुनाथजी दर्जी
13. देवाराम पुत्र खीमाजी नाई
14. ढलाराम पुत्र रघुनाथजी सुथार
15. भैराराम पुत्र पूराराम जी गूजर

समस्त निवासीगण बोमादड़ा  
तहसील पाली प्रतिनिधिगण -  
समस्त ग्राम बोमादड़ा तहसील  
पाली।

बनाम प्रतिवादीगण:-

1. टीकम पुत्र त्रिलोकजी
2. पुखीया पुत्र त्रिलोकजी
3. भीमला पुत्र त्रिलोकजी
4. मृत वरदीया के कायम मुकाम पुत्र त्रिलोकजी
- 4/1 अणची बेवा वरदाराम
- 4/2 वजाराम
- 4/3 केशाराम
- 4/4 भुराराम
- 4/5 राजाराम नाबालिग
- 4/6 श्रवण कुमार नाबालिग क्रमांक 4 व 5 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता अणची बेवा वरदाराम
5. ओगड़िया पुत्र जोराजी
6. मोतिया पुत्र जोराजी
7. नारिया पुत्र जोराजी
8. मृत मगा पुत्र नैका के कायम मुकाम
- 8/1 भीका पुत्र मगाजी
9. मृत सुजा पुत्र गमनाजी के कायम मुकाम
- 9/1 भंवरलाल पुत्र सुजाजी
- 9/2 अणजी बेवा सुजाजी
10. कूपा पुत्र गमनाजी
11. वेना पुत्र गमनाजी
12. वगता पुत्र लच्छाजी



*Rohit*  
सहायक कलेक्टर  
पाली

13. मृत रूघा पुत्र लछाजी के कायम मुकाम
    - 13/1 चतराराम पुत्र रूघाजी
    - 13/2 शेषाराम पुत्र रूघाजी
    - 13/3 किशनलाल पुत्र रूघाजी
  14. मृत देवा पुत्र रता के कायम मुकाम
    - 14/1 भैराराम पुत्र सूजाजी
    - 14/2 विजयराम पुत्र सूजाजी
    - 14/3 डायाराम पुत्र सूजाजी
    - 14/4 लादुराम पुत्र सूजाजी
    - 14/5 तलसी बेवा सुजाजी
  15. सावल पुत्र दुरगाजी
  16. नारायण पुत्र दुरगाजी
  17. रूपा पुत्र हुकमा जी
  18. चिमना पुत्र उदाजी
  19. वगता पुत्र उदाजी
  20. जसा पुत्र उदाजी
  21. मनरूप पुत्र मादाजी
  22. सेसाराम पुत्र राणाजी
  23. मगाराम पुत्र गोंगाजी
  24. हीराराम पुत्र सरूपजी
  25. हिमताराम पुत्र सरूपजी
  26. लुम्बा पुत्र पूनाजी
  27. मृत जसा पुत्र चेलाजी के कायम मुकाम
    - 27/1 धना पुत्र जसाजी
- समस्त जातिगण सिरवी निवासीगण बोमादड़ा तहसील पाली जिला पाली
28. सरकार जरिये तहसीलदार, पाली।



यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक वादीगण बहाजरी मिनजानिब मुददई व श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अंतर्गत धारा 88, 91, 92ए, 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत मौजा ग्राम बोमादड़ा के खसरा नंबर 264 रकबा 17 बिस्वा की कृषि भूमि पर विद्वान अभिभाषक वादीगण एवं विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाकर राजीनामा

*Rohit*  
सहायक कलेक्टर  
पाली

के संलग्न नजरी नक्शा को इस निर्णय का भाग बनाया जाता है तथा नजरी नक्शे में दर्शित "सार्वजनिक उपयोग के हेतु" भूमि को ग्राम पंचायत, बोमादड़ा को बतौर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पाली को निर्देशित किया जाता है कि माफिक राजीनामा राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज कर पालना प्रतिवेदन 15 दिवस की अवधि में प्रस्तुत करे।

नीज.....शून्य..... मुबलिंग .....शून्य..... बाबत.....शून्य.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....शून्य.....फीसदी आज की तारीख से वसूलयानी तक .....शून्य..... को अदा करें।  
बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13 माह 02 सन् 2020 को जारी की गई।



*Rahul*  
सहायक कलेक्टर  
पाली

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीनामा	-	-	स्टाम्प वकालतनामा	-	-
स्टाम्प वकालतनामा	-	-	स्टाम्प हाजरी	-	-
स्टाम्प वजह सबूत	-	-	मेहनताना वकील पर	-	-
मेहनताना वकील	-	-	खर्चा गवाहान	-	-
खर्चा गवाहान	-	-	फीस कमिश्नर	-	-
फीस कमिश्नर	-	-	बाबत इजराय हुक्मनामा	-	-
बाबत इजराय हुक्मनामा	-	-	मुतफरिक	-	-
मुतफरिक	-	-		-	-
	मीजान			मीजान	

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर जो फरीकेन का, चाहे डिक्की के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं दर्ज करना चाहिये।

*Rahul*  
सहायक कलेक्टर  
पाली

